



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 25, 2018/माघ 5, 1939

No. 50]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 2018/MAGHA 5, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 95(अ).— केंद्र सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, अपर निदेशक (पूजी बाजार)/ संयुक्त निदेशक (पूजी बाजार) और अपर निदेशक (वित्तीय संव्यवहार)/संयुक्त निदेशक (वित्तीय संव्यवहार) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, अपर निदेशक (पूजी बाजार)/ संयुक्त निदेशक (पूजी बाजार) और अपर निदेशक (वित्तीय संव्यवहार)/संयुक्त निदेशक (वित्तीय संव्यवहार) समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, अपर निदेशक (पूजी बाजार)/ संयुक्त निदेशक (पूजी बाजार) और अपर निदेशक (वित्तीय संव्यवहार)/संयुक्त निदेशक (वित्तीय संव्यवहार) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान - पदों की संख्या, और उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) में (4) में विनिर्दिष्ट है।"

3. उक्त नियमों में, अनुसूची में, -

(i) क्रम सं. 1 में, अपर निदेशक (पूजी बाजार)/ संयुक्त निदेशक (पूजी बाजार) के पदों के सामने -

(क) स्तंभ (1) में, निम्नलिखित 'टिप्पण' अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण:- एक समय में केवल एक पद अर्थात् यथास्थिति अपर निदेशक (पूँजी बाजार) या संयुक्त निदेशक (पूँजी बाजार), परिचालित किया जाएगा।";

(ख) स्तंभ (4) में-

(i) शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान।";

(ii) विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(i) अपर निदेशक (पूँजी बाजार) के पद के लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (1,23,100-2,15,900 रुपए);

(ii) संयुक्त निदेशक (पूँजी बाजार) के पद के लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78,800-2,09,200 रुपए)।";

(ग) स्तंभ (11) में, शीर्षक 'प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)' के अधीन,-

(i) "स्वायत्त एवं कानूनी निकायों" शब्दों के स्थान पर, "स्वायत्त या कानूनी निकायों" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपशीर्षक अपर निदेशक (पूँजी बाजार) के पद के लिए खंड (क) में मद (ii) में "वेतन बैंड - 3, 15,600-39,100 रुपए + 7600 रुपए ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78,800-2,09,200 रुपए)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(iii) उपशीर्षक संयुक्त निदेशक (पूँजी बाजार) के पद के लिए मद (ii) में "वेतन बैंड - 3, 15,600-39,100 रुपए + 6600 रुपए ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के लिए "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67,700-2,08,700 रुपए)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(iv) उपशीर्षक 'आवश्यक' के अधीन 'प्रबंधन (वित्त) में व्रात्तकोत्तर डिप्लोमा' शब्दों और कोष्ठकों के बाद "किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से" शब्द रखे जाएंगे;

(v) उपशीर्षक 'वांछनीय' के अधीन,-

(क) मद (i) में, "किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" शब्दों के पश्चात्, "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) मद (ii) में, "प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा" शब्दों के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयुसीमा" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(vi) 'टिप्पण' का लोप किया जाएगा;

(घ) स्तंभ (13) में विद्यमान प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् "संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है।";

(ii) क्रम सं. (2) में, अपर निदेशक (वित्तीय संव्यवहार)/संयुक्त निदेशक (वित्तीय संव्यवहार) के पदों के सामने, -

(क) स्तंभ (1) में, निम्नलिखित 'टिप्पण' रखा जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण:- एक समय में केवल एक पद अर्थात् यथास्थिति अपर निदेशक (वित्तीय संव्यवहार) या संयुक्त निदेशक (वित्तीय संव्यवहार), परिचालित किया जाएगा।";

(ख) स्तंभ (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(i) अपर निदेशक (वित्तीय संव्यवहार) के पद के लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (1,23,100-2,15,900 रुपए);

(ii) संयुक्त निदेशक (वित्तीय संव्यवहार) के पद के लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78,800-2,09,200 रुपए)।";

(ग) स्तंभ (11) में, शीर्षक 'प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है)' के अधीन,-

(i) "स्वायत्त एवं कानूनी निकायों" शब्दों के स्थान पर, "स्वायत्त या कानूनी निकायों" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपशीर्षक अपर निदेशक (वित्तीय संव्यवहार) के पद के स्थान पर खंड (क) में मद (ii) में "वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 + ग्रेड वेतन 7600 रु." शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78,800-2,09,200 रुपए)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(iii) उपशीर्षक संयुक्त निदेशक (वित्तीय संव्यवहार) के पद के स्थान पर मद (ii) में "वेतन बैंड - 3, 15,600-39,100 रुपए + ग्रेड वेतन 6600 रुपए" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67,700-2,08,700 रुपए)" शब्द, संख्या और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(iv) उपशीर्षक 'आवश्यक' के अधीन 'प्रबंधन (वित्त) में त्वात्तकोत्तर डिप्लोमा' शब्दों और कोष्ठकों के बाद "किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से" शब्द रखे जाएंगे;

(v) उपशीर्षक 'वांछनीय' के अंतर्गत,-

(क) मद (i) में, "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" शब्दों के लिए, "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) मद (i) के पश्चात्, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(ii) साक्ष्य एकत्र करने के तरीको और तकनीकों या अभियोजन कार्यवाही में उपयोग किए जाने के लिए कथन की अभिलेखन या सर्वोत्तम साक्ष्य को एकत्र करने, समेकित और प्रस्तुत करने का अभिज्ञ होना चाहिए।";

(vi) टिप्पण 1 में, "प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा" शब्दों के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयुसीमा" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(vii) 'टिप्पण-2' का लोप किया जाएगा;

(घ) स्तंभ (13) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् "संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श करना आवश्यक है।"।

[फा. सं. ए-35011/29/2012-प्रशा. III]

के वी आर मूर्ति, संयुक्त सचिव,

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 21 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना सं. 800(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2018

G.S.R. 95(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Additional Director (Capital Market)/Joint Director (Capital Market) and Additional Director (Financial Transactions)/Joint Director (Financial Transactions) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2015, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Additional Director (Capital Market)/Joint Director (Capital Market) and Additional Director (Financial Transactions)/Joint Director (Financial Transactions) Group 'A' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Additional Director (Capital Market)/Joint Director (Capital Market) and Additional Director (Financial Transactions)/Joint Director (Financial Transactions) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2015, (herein after referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. **Number of posts, classification, level in the pay matrix or pay scale.**- The number of posts, their classification, level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule."
3. In the said rules, in the Schedule. -
 - (i) in serial number 1, against the posts of Additional Director (Capital Market)/Joint Director (Capital Market), -
 - (a) in column (1), the following 'Note' shall be inserted, namely:-
"Note:- Only one post i.e. either Additional Director (Capital Market) or Joint Director (Capital Market), as the case may be, is to be operated at a time.";
 - (b) in column (4)-
 - (i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-
"Level in the pay matrix or pay scale.";
 - (ii) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
"(i) Level 13 (Rs. 1,23,100-2,15,900) in the pay matrix for the post of Additional Director (Capital Market);
(ii) Level 12 (Rs. 78,800-2,09,200) in the pay matrix for the post of Joint Director (Capital Market).";
 - (c) in column (11), under the heading 'Deputation (Including short-term contract)', -
 - (i) for the words, "autonomous and statutory bodies", the words, "autonomous or statutory bodies", shall be substituted;
 - (ii) under sub-heading 'For the post of Additional Director (Capital Market)', in clause (A), in item (ii), for the words, figures and letters, "pay band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 7600", the words, figures, letters and brackets, "level 12 in the pay matrix (Rs. 78,800-2,09,200)", shall be substituted;
 - (iii) under sub-heading 'For the post of Joint Director (Capital Market)', in item (ii), for the words, figures and letters, "pay band-3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 6600", the words, figures, letters and brackets, "level 11 in the pay matrix (Rs. 67,700-2,08,700)", shall be substituted;

- (iv) under sub-heading 'Essential', after the words and brackets, "Post Graduate Diploma in Management (Finance)", the words, "from a recognised university or institute" shall be inserted;
- (v) under sub-heading 'Desirable',-
- (a) in item (i), for the words, "recognised university", the words, "recognised university or institute", shall be substituted;
- (b) in item (ii), for the words, "maximum age limit for appointment by deputation", the words and brackets, "maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract)", shall be substituted;
- (vi) the 'Note' shall be omitted;
- (d) in column (13), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
"Consultation with Union Public Service Commission necessary. ";
- (ii) in serial number 2, against the posts of Additional Director (Financial Transactions)/Joint Director (Financial Transactions), -
- (a) in column (1), the following 'Note' shall be inserted, namely:-
"Note:- Only one post, i.e. Additional Director (Financial Transactions) or Joint Director (Financial Transactions) is to be operated at a time.";
- (b) in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
(i) Level 13 (Rs. 1,23,100-2,15,900) in pay matrix for the post of Additional Director (Financial Transactions);
(ii) Level 12 (Rs. 78,800-2,09,200) in pay matrix for the post of Joint Director (Financial Transactions).";
- (c) in column (11), under the heading 'By deputation (including short-term contract)',-
- (i) for the words, "autonomous and statutory bodies", the words, "autonomous or statutory bodies", shall be substituted;
- (ii) under sub-heading 'For the post of Additional Director (Financial Transactions)', in clause (A), in item (ii), for the words, figures and letters, "pay band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 7600", the words, figures, letters and brackets, "level 12 in the pay matrix (Rs. 78,800-2,09,200)", shall be substituted;
- (iii) under sub-heading 'For the post of Joint Director (Financial Transactions)', in item (ii), for the words, figures and letters, "pay band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 6600", the words, figures, letters and brackets, "level 11 in the pay matrix (Rs. 67,700-2,08,700)", shall be substituted;
- (iv) under sub-heading 'Essential', after the words and brackets, "Post Graduate Diploma in Management (Finance)", the words, "from a recognised university or institute" shall be inserted;
- (v) under sub-heading 'Desirable', -
- (a) in item (i), for the words, "recognised university", the words, "recognised university or institute", shall be substituted;
- (b) after the item (i), the following item shall be inserted, namely:-
"(ii) Should be conversant with tools and techniques of collection of evidence or recording of statement or collection, collation and presentation of best evidence to be used in prosecution proceedings.";
- (vi) in Note.1, for the words, "The maximum age limit for appointment by deputation", the words and brackets, "The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract)", shall be substituted;
- (vii) the 'Note.2' shall be omitted;

(d) in column (13), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
"Consultation with Union Public Service Commission necessary."

[F. No. A-35011/29/2012-Ad.III]
K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note:-The principal rules were published *vide* notification number 800(E), dated 21st October, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 21st October, 2015.

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by RAKESH
SUKUL
Date: 2018.01.28 12:27:02
+05'30'